उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

इंस्टीट्यूटशन ऑफ इंजीनियर्स (इ0),प्रथम तल, नियर आई0एस0बी0टी0, माजरा, देहरादून
फोन–0135–2641119 फैक्स–2641314 Website www.uerc.in E-mail- .uerc@indiatimes.com

सार्वजनिक सूचना

समक्ष माननीय विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली

निम्नलिखित के मामले में :
मै0 पॉलीप्लैक्स कारपोरेशन लि0
बी–37, सेक्टर–1, नोएडा–201301
गौतम बुद्ध नगर, उ.प्र. ....अपीलकर्ता

बनाम

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग एवं अन्य ....प्रतिवादी

चूंकि उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (आयोग) ने उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों से यू.पी.सी.एल. द्वारा प्रभारित किये जाने वाले खुदरा विद्युत दरों को अनुमोदित करते हुए उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 (यू.पी.सी.एल.) की ए.आर.आर. याचिका पर 2007–08 व 2008–09 के लिये एक टैरिफ आदेश दिनांक 18.03.2008 को जारी किया है। यह अनुमोदित शुल्क दिनांक 01.03.2008 से प्रभावी हैं।

चूंकि आयोग के उपरोक्त आदेश दिनांक 18.03.2008 के अंश को निरस्त करने के लिए माननीय विद्युत अपीलीय अधिकरण, नई दिल्ली (माननीय न्यायाधिकरण) के समक्ष मै0 पोलीप्लैक्स कारपोरेशन लि0 (अपीलकर्ता) द्वारा एक अपील सं0 85/08 व आई.ए. संख्या 113, 114, व 115 (2008) प्रस्तुत की गई है जिसके अन्तर्गत अपीलकर्ता को आर.टी.एस. –7 औद्योगिक एच.टी. उपभोक्ता की श्रेणी में वर्गीकृत किया है।

तथा, जबकि माननीय न्यायाधिकरण ने अपने आदेश दिनांक 16.02.2009 में आयोग को निम्नलिखित निर्देश दिए हैंः

''यह टैरिफ आदेश के विरूद्ध एक अपील है। अपीलकर्ता उस टैरिफ आदेश के अंश को निरस्त करने की प्रार्थना कर रहा है, जिसमें अपीलकर्ता को आर.टी.एस.–7 औद्योगिक एच.टी. उपभोक्ता की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। यदि अपील अनुमोदित की जाती है तो इस से अन्य उपभोक्ताओं के लिए विद्युत दरों में वृद्धि होगी।

प्रतिवादी संख्या 1 आयोग को निर्देश दिया जाता है कि वह उसी प्रकार न्यायाधिकरण के समक्ष अपील के लम्बित होने सम्बन्धित एक सार्वजनिक सूचना अपीलकर्ता की लागत पर जारी करे जिस प्रकार ए.आर.आर. की प्रस्तुति व टैरिफ याचिका के सम्बन्ध में सूचना जारी की गई थी। ऐसा दो सप्ताह के भीतर किया जाए। यदि सार्वजनिक सूचना के प्रत्युत्तर में कोई उपभोक्ता, अपील का विरोध करने की अपनी रूचि व्यक्त करता है तो उसे अपील पत्र पुस्तिका की एक प्रति उपलब्ध करा दी जाएगी। पक्षों को आदेश की प्रति दस्ती रूप से दी जायेगी। ...''

अतः यदि कोई उपभोक्ता माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष मै0 पॉलीप्लेक्स कारपोरेशन लि0 की अपील का विरोध करने में रूचि रखता है तो वह ऐसा कर सकता है क्योंकि यह प्रकरण दिनांक 18.03.2009 को सुनवाई हेतु सूचीबद्ध है। वह अपीलकर्ता मै0 पॉलीप्लेक्स कारपोरेशन लि0, से उक्त अपील की प्रति भी प्राप्त कर सकता है। इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आयोग के सचिव से सम्पर्क किया जा सकता है।

Advt. No. 27/08-09 **सचिव**